

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	शैक्षिक अर्हता	2
2	महत्वपूर्ण तिथियाँ	3
3	महत्वपूर्ण निर्देश	4-5
4	ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया	6-8
5	ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी सामान्य निर्देश	9-12
6	आरक्षण	13-14
7	प्रवेश–पत्र सम्बन्धी निर्देश	15
8	प्रवेश परीक्षा का प्रारूप	16
9	परिशिष्ट–1 भारांकों से सम्बन्धित प्राविधान	17-18
10	परिशिष्ट–2 संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026–28 से सम्बन्धित विश्वविद्यालय	19
11	परिशिष्ट–3 प्रवेश परीक्षा केन्द्र हेतु शहर का विकल्प	20
12	सम्पर्क सूत्र	21
13	प्रमाण–पत्रों के प्रारूप	22-31



उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

शैक्षिक अर्हता

बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा–2026 में सम्मिलित होने हेतु अर्हता निम्नवत् है–

1. विज्ञान/समाजिक–विज्ञान/मानविकी वर्ग' में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% (पचास प्रतिशत) अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि। बी0ई0 एवं बी0टेक0 (अभियांत्रिकी) में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% (पचपन प्रतिशत) अंको के साथ अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं।
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ बी0ई0 एवं बी0टेक0 में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यार्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं।
3. दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में स्नातक स्तर पर 05% (पांच प्रतिशत) की छूट दी जायेगी।
4. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी या उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षा शास्त्री (बी0एड0) में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों हेतु शैक्षिक अर्हता का विवरण निम्नवत् है–

   न्यूनतम 50% (पचास प्रतिशत) अंकों सहित सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की त्रिवर्षीय शास्त्री परीक्षा, या द्विवर्षीय शास्त्री परीक्षा सत्र–1990 तक या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय की शास्त्री अथवा त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा तीनों वर्षो में संस्कृत सहित अथवा द्विवर्षीय शास्त्री या संस्कृत वैकल्पिक विषय सहित द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा सत्र–1985 तक। तीनों वर्षो में संस्कृत से अभिप्राय संस्कृत को मुख्य/कोर विषय के रूप में अध्ययन किया गया हो।

महत्वपूर्ण नोटः–

1. ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2026 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे भी इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा।



उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

महत्वपूर्ण तिथियाँ

बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा–2026 से सम्बन्धित महत्पवपूर्ण तिथियां

क्र.सं.	विवरण	तिथि	दिन
1	विज्ञापन की तिथि	01.02.2026	रविवार
2	ऑन–लाइन आवेदन पत्र की प्रारम्भ तिथि	10.02.2026	मंगलवार
3	बिना विलम्ब शुल्क के ऑन–लाइन आवेदन की तिथि	05.03.2026	गुरुवार
4	विलम्ब शुल्क सहित आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि	10.03.2026	मंगलवार
5	प्रवेश–पत्र डाउनलोड किये जाने की तिथि	20.04.2026	सोमवार
6	प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि	26.04.2026	रविवार
7	प्रवेश परीक्षा परिणाम की संभावित तिथि	25.05.2026	सोमवार

नोटः किसी विशेष परिस्थिति में बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा–2026 से सम्बन्धित तिथियों में परिवर्तन का अधिकार आयोजक–बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी के पास होगा। यदि बी0एड0 (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा–2026 से सम्बन्धित कोई तिथि परिवर्तित होती है तो इसकी सूचना बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

आवेदन शुल्क (Application Fee) **शुल्क (रुपये में)**

(दिनांक 10.02.2026 से 05.03.2026 तक)

1	उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए	1650/–
2	उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए	850/–
3	अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए	1650/–

विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन शुल्क (Application Fee with late fee) **शुल्क (रुपये में)**

(दिनांक 06.03.2026 से 10.03.2026 तक)

1	उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए	2000/–
2	उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए	1000/–
3	अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए	2000/–



उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में
शैक्षणिक सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

महत्वपूर्ण निर्देश

1. प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अर्हता सम्बन्धी निर्देशों को अवश्य पढ़ लें जो वेबसाइट https://www.bujhansi.ac.in पर उपलब्ध है।
2. आवेदक की अर्हता अथवा भारांकों में किसी भी त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा इस सम्ब्न्ध में किसी तरह के वाद की स्थिति मान्य नहीं होगी।
3. कृपया नोट कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट की **मूल प्रति** अथवा **छायाप्रति** को बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी अथवा कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन के प्रिन्ट आउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।
4. प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन पत्र पर कम्प्यूटर जनित 15 (पन्द्रह) अंकों की एक संख्या अंकित है जो कि पंजीकरण संख्या है, जिसे बी0एड0 प्रवेश परीक्षा–2026 हेतु भविष्य में किये जाने वाले पत्राचार के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
5. आनलाइन आवेदन पत्र मे अभ्यर्थी द्वारा की गई कुछ प्रविष्टियों में यदि कोई त्रुटि द्रष्टिगोचर होती है ऐसी स्तिथि में हुई त्रुटियों के सुधार हेतु अभ्यर्थी को अवसर दिया जाएगा, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के बाद 5 दिनों तक प्रविष्टियों में हुई त्रुटियों में सुधार कर सकेगा।
6. प्रविष्टियाँ जिनमें त्रुटि संशोधन किया जा सकता है : विषय वर्ग, लिंग, भारांक, भाषा, अभ्यर्थी फोटोग्राफ, अभ्यर्थी हस्ताक्षर तथा परीक्षा केन्द्र।
7. e-mail ID : अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपनी **व्यक्तिगत ई–मेल आई0डी0** ही ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करें, जिसे वे स्वयं प्रयोग में ला रहे हैं, क्योंकि भविष्य में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी द्वारा अभ्यर्थियों को कोई भी सूचना आवश्यकता पड़ने पर इसी ई–मेल आई0डी0 पर प्रेषित की जायेगी।
8. मोबाईल नम्बर : अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपना वही मोबाईल नम्बर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करें, जिसे वे स्वयं प्रयोग में ला रहे हैं, क्योंकि भविष्य में, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अभ्यर्थियों को कोई भी सूचना उसी मोबाईल नम्बर पर प्रेषित की जायेगी।



9. अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने पासवर्ड/OTP को दुरूपयोग से बचाने हेतु गोपनीय रखें व किसी से भी साझा न करें। यदि उनके पासवर्ड/OTP का कोई भी दुरूपयोग होता है तो इस हेतु बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी उत्तरदायी नहीं होगा।



उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नवत् तीन चरणों में सम्पन्न होगी –

प्रथम चरण – ऑनलाइन पंजीकरण करना।

द्वितीय चरण – आवेदन पत्र को पूर्ण करना।

तृतीय चरण –पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से प्रवेश–परीक्षा शुल्क भुगतान करना एवं आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करना।

कृपया नोट करे लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति को बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी अथवा कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन–पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उत्तर प्रदेश संयुक्त बी0एड0 (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा–2026 (सत्र–2026–28) के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व वेबसाईट https://www.bujhansi.ac.in पर उपलब्ध निर्देशों को पढ़कर प्रवेश–परीक्षा हेतु अपनी अर्हता के सम्बन्ध में सतुंष्ट हो लें।

प्रथम चरण– पंजीकरण

1. ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवेदक बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी की वेबसाईट https://www.bujhansi.ac.in पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करें।
2. ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन की प्रविष्टियों को भरें। जहाँ–जहाँ (*) चिन्ह लगा है उन प्रविष्टियों कों अनिवार्य रूप से भरना है।
3. समस्त प्रविष्टियों को पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी कृपया सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा भरी गयी समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण रूपेण त्रुटि रहित हैं तदुपरान्त ही सबमिट (Submit) पर क्लिक करें।
4. अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर एक ओ0टी0पी0 (OTP) भेजा जायेगा, जिसे निर्धारित स्थान पर भरना होगा, जो अभ्यर्थी के पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा।
5. सफलतापूर्वक पंजीकरण होने के साथ ही अभ्यर्थी को कम्प्यूटर जनित 15 (पन्द्रह अंकों) की पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड पंजीकृत मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 पर प्राप्त होगी।

इस पंजीकृत संख्या एवं पासवर्ड को सावधानीपूर्वक भविष्य के संदर्भ हेतु लिख कर रख लें एवं इस पृष्ठ का प्रिन्टआउट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि इसी पंजीकरण संख्या के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया सम्पादित होगी।

नोट– प्रवेश हेतु केवल पंजीकरण करने मात्र से अभ्यर्थी का बी0एड0 प्रवेश–परीक्षा 2026–28 हेतु आवेदन पूर्ण नहीं होता है। यह केवल सफलतापूर्वक पंजीकरण का प्रतीक है। पंजीकरण के उपरान्त अभ्यर्थी को निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन को पूर्ण करना है। आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा न होने की स्थिति में आवेदन अपूर्ण मानते हुए अस्वीकार कर दिया जाएगा।

द्वितीय चरण– आवेदन पत्र को पूर्ण करना

1. पंजीकरण करने के पश्चात आगे की प्रक्रिया के लिये "**Click here to Edit Application**" लिंक पर क्लिक करें। आवेदन पत्र पूरित करने के लिए अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या, पासवर्ड एवं जन्मतिथि भरना होगा।
2. स्क्रीन पर माँगी गई सूचनाओं को दिये आवेदन सम्बन्धी सामान्य निर्देशों के आधार पर भरने के बाद सबमिट (Submit) पर क्लिक करें।
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा की गयी कुछ प्रविष्टियों में यदि उसे कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होती है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी परीक्षा फार्म भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथियों पर त्रुटियों का संशोधन कर सकेगा। अभ्यर्थी पुनः संशोधित आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य के संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।
4. प्रविष्टियाँ जिनमें त्रुटि संशोधन किया जा सकता है : विषय, वर्ग, लिंग, भारांक, अभ्यर्थी फोटोग्राफ, अभ्यर्थी हस्ताक्षर तथा परीक्षा केन्द्र।

तृतीय चरण– शुल्क भुगतान करना एवं आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट प्राप्त करना

1. सम्बन्धित वेबसाइट पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से प्रवेश परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान (Internet Banking/Debit Card/Credit Card) द्वारा करें।
2. ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करने पर बैंक द्वारा जारी Transaction ID को अपने पास सावधानीपूर्वक लिख कर सुरक्षित कर लें।
3. उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा शुल्क



1650/–(रूपये एक हजार छः सौ पचास मात्र) एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रू0 850 /–(रूपये आठ सौ पचास मात्र) देय होगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा शुल्क रू0 1650/–(रूपये एक हजार छः सौ पचास मात्र) देय होगा।

4. यदि किसी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन पंजीकरण करा लिया है, किन्तु बिना विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन करने की निर्धारित तिथि तक आवेदन–पत्र पूर्ण नहीं किया है, तो अभ्यर्थी विलम्ब शुल्क सहित, आवेदन की अन्तिम तिथि तक आवेदन–पत्र पूर्ण कर सकता है।
5. निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् आवेदन करने वाले सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बिना विलम्ब शुल्क के आवेदन पूरित करने की अभ्यर्थियों को विलम्ब परीक्षा शुल्क रूपये 2000/– तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए विलम्ब परीक्षा शुल्क रूपये 1000/– देय होगा। अन्य राज्यों के समस्त अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा शुल्क रूपये 2000/– देय होगा। विलम्ब शुल्क सहित आवेदन की अंतिम तिथि आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा बेबसाईट पर प्रदशित की गयी है।
6. निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात कोई आवेदन–पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

यदि किसी अभ्यर्थी के खाते से प्रवेश परीक्षा शुल्क की धनराशि कट जाती है किन्तु लेन–देन असफल होता है तो इस दशा में भुगतान की वापसी, बैंक स्तर से, भुगतान के मिलान (Payment-Reconciliation) के 24 घण्टे के पश्चात संभव हो सकेगी। परामर्श दिया जाता है कि अभ्यर्थी के खाते से प्रवेश परीक्षा शुल्क भुगतान असफल होने की दशा में, भुगतान का अगला प्रयास 24 घण्टे के पश्चात ही करें।



उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में
शैक्षणिक सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी सामान्य निर्देश

(General Instructions for Online Application)

01- **अभ्यर्थी का नाम (Name of Candidate)**

हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष प्रमाण–पत्र के अनुसार अपना पूरा नाम भरें। नाम के साथ श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री आदि सम्बोधन सूचक शब्द नहीं भरें।

02- **पिता का नाम (Father's Name)**

जिस प्रकार क्रमांक 1 में अभ्यर्थी का नाम भरा गया है, उन्हीं निर्देशों का अनुपालन करते हुए पिता का नाम भरा जाए। पिता के नाम के साथ श्री/श्रीमान/डा0 आदि सम्बोधन सूचक शब्द नहीं भरें।

03- **माता का नाम (Mother's Name)**

जिस प्रकार क्रमांक 1 में अभ्यर्थी का नाम भरा गया है, उन्हीं निर्देशों का अनुपालन करते हुए माता का नाम भरा जाए। माता के नाम के साथ श्रीमती/सुश्री/डा0 आदि सम्बोधन सूचक शब्द नहीं भरें।

04- **जन्म–तिथि (Date of Birth)**

हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष प्रमाण–पत्र के अनुसार भरें। जन्मतिथि DD/MM/YYYY के प्रारूप में होगा।

05- **ई–मेल आई0डी0 (e-mail ID)**

अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत ई–मेल आई0डी0 ऑनलाइन आवेदन–पत्र में अंकित करें, जिसे वे स्वयं प्रयोग में ला रहे हैं, क्योंकि भविष्य में, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी द्वारा अभ्यर्थियों को कोई भी सूचना आवश्यकता पड़ने पर इसी ई–मेंल आई0डी0 पर प्रेषित की जायेगी।

06- **मोबाइल नम्बर (Mobile Number)**

अभ्यर्थी अपना 10 अंकों का मोबाइल नम्बर भरें।

अभ्यर्थी अपना वही मोबाइल नम्बर ऑनलाइन आवेदन–पत्र में अंकित करें, जिसे वे स्वयं प्रयोग में ला रहे हैं, क्योंकि भविष्य में, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी द्वारा अभ्यर्थियों को

कोई भी सूचना आवश्यकता पड़ने पर इसी मोबाइल नम्बर पर प्रेषित की जायेगी।

07- **लिंग (Gender)**

पुरूष अभ्यर्थी, पुरूष **(Male)** के सम्मुख क्लिक करें तथा महिला अभ्यर्थी, महिला **(Female)** के सम्मुख क्लिक करें। अन्य अभ्यर्थी **(Transgender)** पर क्लिक करें।

08- **राष्ट्रीयता (Nationality)**

अभ्यर्थी अपनी राष्ट्रीयता यथा स्थान भरें।

09. **उत्तर प्रदेश का मूल निवासी (Domicile of Uttar Pradesh)**

यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है तो हाँ **(Yes)** का चयन करें अन्यथा नहीं **(No)** का चयन करें। यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है परन्तु उसने शैक्षिक योग्यता (हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट/स्नातक) उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से प्राप्त की है तो अभ्यर्थी को निर्देश–पुस्तिका में दिए गये प्रारूप–8 के अनुसार ऑनलाइन प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों ने (हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक) उत्तर प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है, ऐसे अभ्यर्थी अपनी हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक की अंकतालिका या प्रमाण–पत्र अपलोड करें।

10. **श्रेणी (Category)**

सामान्य/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अुनसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (UR/OBC/SC/ST/EWS) के अभ्यर्थी (यदि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र धारित करता है) तो अपने वर्ग के सम्मुख क्लिक करें। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों का जाति–प्रमाण पत्र 01 अप्रैल, 2023 या उसके बाद का होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2025 या उसके बाद का आय प्रमाण–पत्र भी अपलोड करना होगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी सम्बन्धित वर्ग पर क्लिक न करें बल्कि सामान्य के सम्मुख क्लिक करें। **अर्थात् अन्य राज्यों के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी इस परीक्षा हेतु सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।**

11. **दिव्यांग(Differently Abled) /दृष्टिबाधित(Blind)**

यदि अभ्यर्थी दृष्टिबाधित श्रेणी में आता है और इस श्रेणी का लाभ लेना चाहता है तो हाँ

(Yes) के सम्मुख क्लिक करें। अभ्यर्थी के पास मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उसके द्वारा गठित सक्षम बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में मूल रूप में होना आवश्यक है। सम्बन्धित प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

12. **वैवाहिक स्थिति (Marital Status)**
अभ्यर्थी अपनी वैवाहिक स्थिति के लिए विवाहित/अविवाहित/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा (Married/Unmarried/Widow/Separated/Divorced) का चयन करें।

13. **पत्र व्यवहार का पूरा पता (Complete Postal Address)**
पत्र व्यवहार के पते में अभ्यर्थी अपना नाम एवं डाक का सम्पूर्ण पता भरें।

14. **पिन कोड (Pin Code)**
अभ्यर्थी अपने पत्र व्यवहार में दिए गये पते से सम्बन्धित पिनकोड नम्बर को भरें।

15. **फोटो पहचान (Photo Indentity Card)**
अभ्यर्थी अपना वैध पहचान पत्र का विवरण भरें एवं पहचान पत्र अपलोड करें।

16. **फोटो व अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (Photograph & Signature of the Candidate)**

ऑनलाइन आवेदन–पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नवीनतम रंगीन अभिमुख (Front Face), दोनों तर्जनी (Both Index Fingers) तथा हस्ताक्षर (35mm X 45mm) आकार में एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्र अपलोड करना अनिवार्य है। फोटोग्राफ, दोनों तर्जनी (Both Index Fingers) तथा हस्ताक्षर की अधिकतम 50KB की jpg format में कम्प्यूटर फाईल होगी। फोटो, हस्ताक्षर व अंगुलियों के निशान स्पष्ट होना चाहिए। अस्पष्ट तथा गहरे रंग के चश्मे के साथ खींची गयी फोटो स्वीकार नहीं होगी तथा इस दशा में आवेदन–पत्र निरस्त हो सकता है।
यदि किसी अभ्यर्थी की तर्जनी नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थी उक्त हाथ की किसी अन्य ऊंगली अथवा अंगूठे का उपयोग करें

17. **हाईस्कूल परीक्षा विवरण (Details of High School)**

अभ्यर्थी अपने हाईस्कूल के पूर्णांक एवं प्राप्तांक को यथास्थान भरें। इसे भरते समय ही प्राप्तांक प्रतिशत स्वतः दिखायी देने लगेगा।

18. **इन्टरमीडिएट परीक्षा विवरण (Details of Intermediate)**

अभ्यर्थी अपने इण्टरमीडिएट के पूर्णांक एवं प्राप्तांक को यथास्थान भरें। इसे भरते समय ही प्राप्तांक प्रतिशत स्वतः दिखायी देने लगेगा।

19. **स्नातक परीक्षा विवरण (Details of Graduation)**

अभ्यर्थी अपनी स्नातक उपाधि के पूर्णांक एवं प्राप्तांक अथवा CGPA को यथास्थान भरें। इसे भरते समय ही प्राप्तांक प्रतिशत स्वतः दिखायी देने लगेगा।

20. **परास्नातक परीक्षा विवरण (Details of Post Graduation)**

अभ्यर्थी अपनी परास्नातक उपाधि के पूर्णांक एवं प्राप्तांक अथवा CGPA को यथास्थान भरें। इसे भरते समय ही प्राप्तांक प्रतिशत स्वतः दिखायी देने लगेगा।

नोटः– यदि अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर अर्हता पूरी करता है और उसने परास्नातक परीक्षा पूर्ण नहीं की हो तो वह इस विवरण को न भरें।

21. **उप–श्रेणी (Sub-Category)**

यदि अभ्यर्थी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, प्रतिरक्षा कर्मचारी आश्रित या दिव्यांगता की श्रेणी का लाभ लेना चाहता है तो सम्बन्धित श्रेणी का चयन करें। साथ में भारांक की अर्हता में भी उचित स्थान पर 'हाँ' करते हुए सम्बन्धित प्रमाण–पत्र अपलोड करें। सम्बन्धित प्रमाण–पत्र मूल रूप में काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

22. **भारांक हेतु माँग/दावा (Demand/ Claim for weightage)**

(अ) अभ्यर्थी भारांक की अर्हता के लिए परिशिष्ट संख्या–1 को सावधानी पूर्वक देखें।

(ब) उसके अनुसार परिशिष्ट संख्या–1 में श्रेणी **'A'** से **'F'** तक के नीचे उस कोड के अन्तर्गत माँगे गए भारांक से सम्बन्धित श्रेणी का चयन करें।

(स) सम्बन्धित प्रमाण–पत्र अपलोड करें।

23. **प्रवेश परीक्षा केन्द्र हेतु जनपद का विकल्प (Choice of District of Entrance Examination)**

अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा हेतु परिशिष्ट संख्या–3 अंकित जनपदों में से पांच जनपदों के नाम का विकल्प चुनना होगा (परिशिष्ट संख्या–3 देखें)। बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी द्वारा परीक्षा केन्द्रों का आबंटन किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र अभ्यर्थी को स्वीकार करना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु चुने गये जनपदों के विकल्प में से किसी भी जनपद के आवंटन का अधिकार बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी के पास होगा।

परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु आवेदन–पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

24. **विषय समूह (Subject Stream)**

अभ्यर्थी अपने विषय समूह का चयन करें। (प्रवेश परीक्षा का प्रारूप देखें) पृष्ठ संख्या–13

25. **घोषणा (Declaration)**

अभ्यर्थी घोषणाओं को सावधानीपूर्वक पढ़ें तथा निर्देशों का पालन करें।

नोटः– ऑनलाइन आवेदन–पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें, साथ ही अपना पासवर्ड किसी से भी साझा न करें।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में
शैक्षणिक सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

आरक्षण

(A) ऊर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)

बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुसूचित जातियों (21%), अनुसूचित जन जातियों (2%), अन्य पिछड़ा वर्ग (27%), एवं आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों (10%),आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना/शासनादेश के अनुसार देय होगा।

(B) क्षैतिज आरक्षण (HoriZontal Reservation)

शारीरिक रूप से दिव्यांग (न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता)/ दृष्टिहीन अभ्यर्थियों हेतु समस्त प्रवेश सीटों का 05 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। इन अभ्यर्थियों को जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र अपने पास सुरक्षित रखना होगा कि वह विकलांग की श्रेणी में आते हुए चर्म रोग, हकलाना, मूक बधिर या अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं हैं जिसके कारण बच्चों में संक्रमण या उनके कक्षा–शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो। यह प्रमाण–पत्र आवश्यकतानुसार माँगे जाने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 02 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र–पुत्रियों को समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 05 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। महिलाओं के लिए समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

(C) **नेत्र हीन अभ्यर्थियों** को श्रुति लेखक (writer) लाने की सुविधा अनुमन्य है। प्रतिबन्ध यह होगा कि श्रुत लेखक की वर्तमान शैक्षिक योग्यता कक्षा–12 अथवा इसके समकक्ष से अधिक न हो। श्रुत लेखक की सुविधा परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु अभ्यर्थी को परीक्षा से **एक दिन पूर्व केन्द्राध्यक्ष** से सम्पर्क करना होगा।

(D) **अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों** के लिए मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा मे अधिकतम 05 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।

(E) **केवल उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले अभ्यर्थियों** को ही अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के समुदाय का लाभ अनुमन्य है। आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र अभ्यर्थी के पास शासन द्वारा

निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है। अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करने के पात्र होंगे। **विवाहित महिला अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण–पत्र एवं आय प्रमाण–पत्र पिता के नाम से ही निर्गत होना चाहिए।**

टिप्पणीः– काउन्सिलिंग के प्रारम्भ होने तक आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन/सरकार द्वारा जो भी शासनादेश/अधिसूचना निर्गत होंगे, उनके अनुसार ही आरक्षण (ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज) अनुमन्य होगा।



उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

प्रवेश पत्र सम्बंधी निर्देश

अभ्यर्थी अपना राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा बी0एड0 (द्विवर्षीय)–2026 का प्रवेश–पत्र प्रवेश परीक्षा की तिथि के 5 दिन पूर्व राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा बी0एड0 (द्विवर्षीय)–2026 की वेबसाइट bujhansi.ac.in पर लॉगिन कर अपनी आवेदन–पत्र का पंजीकरण संख्या भरकर डाउनलोड कर सकता है।

अभ्यर्थी प्रवेश–पत्र को दो प्रतियों में मुद्रित (प्रिन्ट) कर लें व ऑनलाइन आवेदन–पत्र में अभ्यर्थी ने जिस फोटोग्राफ को अपलोड किया है, उसी फोटोग्राफ को प्रवेश–पत्र के प्रिन्टआउट में निर्धारित स्थान पर चस्पा करें एवं निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर अपनी दोनों तर्जनी (Both Index Fingers) का निशान लगायें। प्रवेश परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र को दो एक जैसी प्रतियों में लाना है व **एक प्रति परीक्षा कक्ष में कक्ष निरीक्षक महोदय/महोदया को देनी है।**

उ0 प्र0 बी0 एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सत्र 2026-28)
U.P. B.Ed. Joint Entrance Examination (Session 2026-28)
आयोजकः
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में
शैक्षणिक सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

प्रवेश परीक्षा प्रारूप

प्रवेश परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रश्न होंगे। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी नकारात्मक अंकन (Negative Marking) की प्रक्रिया यथावत् रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर हेतु दो अंक प्रदान किये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/3 (एक तिहाई) अंक प्राप्तांकों में से काटे जायेंगे।

प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्न–पत्र होंगे।

प्रश्न पत्र–प्रथम

खण्ड	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	कुल अंक	कुल समय
अ	सामान्य ज्ञान (General Knowledge)	50	100	200	3घण्टे
ब	भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी में से कोई एक)	50	100		

उपरोक्त खण्ड 'अ' सभी के लिए अनिवार्य है। खण्ड 'ब' भाषा से सम्बन्धित होगा, इस खण्ड में हिन्दी एवं अंग्रेजी के पृथक–पृथक भाग होंगे। इन दोनों भाषाओं में से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा के लिए प्रश्न हल करने होंगे।

प्रश्न पत्र–द्वितीय

खण्ड	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	कुल अंक	कुल समय
अ	सामान्य अभिरूचि परीक्षण (General Aptitude Test)	50	100	200	3घण्टे
ब	विषय योग्यता (कला/विज्ञान/वाणिज्य/कृषि)	50	100		

नोटः– उपरोक्त खण्ड 'अ' सभी के लिए अनिवार्य है। खण्ड 'ब' में 4 विषय वर्ग (कला/विज्ञान/वाणिज्य/कृषि) होंगे। अभ्यर्थी को इस भाग में से केवल अपने विषय वर्ग के ही प्रश्नों को हल करना होगा जो कि अभ्यर्थी ने अपने विकल्प के रूप ऑनलाइन आवेदन–पत्र में भरा है। सम्बन्धित विषय वर्ग के सभी प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

परिशिष्ट– 1

भारांकों से सम्बन्धित प्रावधान

श्रेणी	अधिभार श्रेणी का विवरण	अंक
'A'	**राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर्विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को**	
	1. इन्डीविजुअल आइटम में अभ्यर्थी द्वारा	
	(अ) प्रथम स्थान आने पर	15
	(ब) द्वितीय स्थान आने पर	10
	(स) तृतीय स्थान आने पर	05
	2. टीम इवेंट में	
	(अ) सर्व विजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर	15
	(ब) सर्व उपविजेता (रनर अप) टीम का सदस्य होने पर	10
	(स) प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर	05
	3. किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्य महाविद्यालय टूर्नामेन्ट या क्रीड़ा या खेलकूल प्रतियोगिताओं में	
	(अ) सर्व विजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर	10
	(ब) एकल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर	10
	नोट : 1) उपर्युक्त 1,2 व 3 के अन्तर्गत उल्लिखित मदों में से केवल एक ही मद/प्रतियोगिता का लाभ दिया जायेगा अर्थात् यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम/प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसे एक ही टीम/प्रतियोगिता का लाभ देय होगा। 2) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद अथवा क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। 3) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित खेलकूद प्रतियोगिता में आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।	
'B'	**नेशनल कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी**	
	1. नेशनल कैडेट कोर में (सी) प्रमाण पत्र पाने वाले पुरूष तथा जी–2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को	15
	2. नेशनल कैडेट कोर में (बी) प्रमाण पत्र पाने वाले पुरूष तथा जी–1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को	10
	3. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 2 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को	15
	4. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 1 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को	10

	या	
	5. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को	05
	या	
	6. स्काउट एवं गाइड्स अथवा रोवर्स/रेन्जर्स का राष्ट्रीय पुरूस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को	15
	या	
	7. स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरूस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेन्जर्स निपुण अभ्यर्थी को	10
	या	
	8. स्काउट, गाइड्स गुरूपद अथवा रोवर्स/रेन्जर्स तृतीय सोपान में प्रवीण प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को	05
	नोट : 1) उपरोक्त 1 से 8 के अन्तर्गत आइटम में से केवल एक ही मद का लाभ देय होगा। 2) किसी भी आइटम के लिये प्रोविजनल प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। 3) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा से तात्पर्य दो सतत शैक्षणिक सत्रों में सेवा/सदस्यता से है।	No
'C'	**स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को आरक्षण**	**15**
'D'	ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हों या ऐसे कर्मचारी के पुत्र या पुत्री के रूप में सम्बन्धित हों या ऐसे कर्मचारी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र, पुत्री, पत्नी के रूप में सम्बन्धित हों।	15
'E'	ऐसे अभ्यर्थी जिनके पिता अथवा पति पुलिस या पी.ए.सी. या बी.एस.एफ. या एस.एस.बी. या आई.टी.बी.पी. या सी.आर. पी.एफ. या होमगार्ड्स में सेवारत हों या सेवानियुक्त, अपंग या मृत हो गये हों, का प्रमाण पत्र (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये)	15
'F'	ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो (ऐसे अभ्यर्थी को विधि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)	15
	नोट : 1. श्रेणी 'C' से 'F' तक के प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस विवरणिका के अन्त में दिये गये हैं। प्रमाण पत्र में उल्लिखित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होने पर ही प्रमाण पत्र मान्य होगा। 2. यदि किसी अभ्यर्थी को उपर्युक्त श्रेणी 'A' से 'F' तक उल्लिखित मदों में 26 अंक से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो उसे अधिकतम 26 अंकों का ही लाभ दिया जायेगा। 3. खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट–गाइड/रोवर्स–रेन्जर्स से सम्बन्धित अधिभार अंक उसी दशा में मान्य होंगे यदि उक्त से सम्बन्धित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्रेषित करने की अन्तिम तिथि से पूर्व अर्जित किये गये हों।	
	टिप्पणी : काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने तक आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन/सरकार द्वारा जो भी शासनादेश/अधिसूचना निर्गत होंगे, उनके अनुसार ही आरक्षण (उर्ध्वाधर तथा क्षैतिज) अनुमन्य होगा।	



उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

परिशिष्ट – 2

संयुक्त बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2026–28 से सम्बन्धित विश्वविद्यालय

क्रम संख्या	विश्वविद्यालयों के नाम
1.	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी–284128
2.	डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा – 282004
3.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ –226007
4.	डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या–224001
5.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ–200005
6.	महात्मा ज्योजिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली – 243006
7.	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी–221002
8.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी–221001
9.	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर–222003
10.	दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर–273009
11.	छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर–208026
12.	प्रो0राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज–211010
13.	जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया–277301
14.	सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर–272205
15.	ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ–226013
16.	गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, नोएडा–201312
17.	राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़–202001
18.	माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर–247120
19.	महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ.–276001
20.	माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर–271201
21.	माँ बिन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर –231001
22.	गुरू जंभेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद–244001



उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

परिशिष्ट – 3

संयक्त बी.एड. (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा 2026–28 हेतु जनपदों का विकल्प

1	Agra (आगरा)	26	Fatehpur (फतेहपुर)	51	Mainpuri (मैनपुरी)
2	Aligarh (अलीगढ़)	27	Firozabad (फ़िरोजाबाद)	52	Mathura (मथुरा)
3	Ambedkar Nagar (अम्बेडकर नगर)	28	Gautam Buddha Nagar (गौतमबुद्ध नगर)	53	Mau (मऊ)
4	Amethi (अमेठी)	29	Ghaziabad (गाजियाबाद)	54	Meerut (मेरठ)
5	Amroha (अमरोहा)	30	Ghazipur (ग़ाज़ीपुर)	55	Mirzapur (मिर्ज़ापुर)
6	Auraiya (औरैया)	31	Gonda (गोंडा)	56	Moradabad (मुरादाबाद)
7	Ayodhya (अयोध्या)	32	Gorakhpur (गोरखपुर)	57	Muzaffarnagar (मुजफ्फरनगर)
8	Azamgarh (आजमगढ़)	33	Hamirpur (हमीरपुर)	58	Pilibhit (पीलीभीत)
9	Baghpat (बागपत)	34	Hapur (हापुड़)	59	Pratapgarh (प्रतापगढ)
10	Bahraich (बहराइच)	35	Hardoi (हरदोई)	60	Prayagraj (प्रयागराज)
11	Ballia (बलिया)	36	Hathras (हाथरस)	61	Rae Bareli (रायबरेली)
12	Balrampur (बलरामपुर)	37	Jalaun (जालौन)	62	Rampur (रामपुर)
13	Banda (बाँदा)	38	Jaunpur (जौनपुर)	63	Saharanpur (सहारनपुर)
14	Bara Banki (बाराबंकी)	39	Jhansi (झाँसी)	64	Sambhal (सम्भल)
15	Bareilly (बरेली)	40	Kannauj (कन्नौज)	65	Sant Kabir Nagar (संत कबीरनगर)
16	Basti (बस्ती)	41	Kanpur Dehat (कानपुर देहात)	66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi) (संत रविदास नगर)
17	Bijnor (बिजनौर)	42	Kanpur Nagar (कानपुर नगर)	67	Shahjahanpur (शाहजहाँपुर)
18	Budaun (बदायूँ)	43	Kasganj (कासगंज)	68	Shamli (शामली)
19	Bulandshahar (बुलंदशहर)	44	Kaushambi (कौशाम्बी)	69	Shrawasti (श्रावस्ती)
20	Chandauli (चंदौली)	45	Kushinagar (कुशीनगर)	70	Siddharthnagar (सिद्धार्थनगर)
21	Chitrakoot (चित्रकूट)	46	Lalitpur (ललितपुर)	71	Sitapur (सीतापुर)
22	Deoria (देवरिया)	47	Lucknow (लखनऊ)	72	Sonbhadra (सोनभद्र)
23	Etah (एटा)	48	Lakhimpur Khiri (लखीमपुर खीरी)	73	Sultanpur (सुल्तानपुर)
24	Etawah (इटावा)	49	Mahoba (महोबा)	74	Unnao (उन्नाव)
26	Farrukhabad (फ़र्रूख़ाबाद)	50	Mahrajganj (महाराजगंज)	75	Varanasi (वाराणसी)

बी0एड0 (द्विवर्षीय) 2026–28 से सम्बन्धित किसी भी वाद का न्याय क्षेत्र झांसी होगा।

Applicants are advised to keep visiting the Bundelkhand University, Jhansi website: https://www.bujhansi.ac. in regularly for udates.

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए नियमित रूप से बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी की वेबसाइट https://www.bujhansi.ac.in देखते रहें।



उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

CONTACT US

UP JEE B.Ed. – 2026	**0510-2441144**
Helpline Numbers	**9151019691 , 9151019693**
Helpdesk Toll Free No.	**9513167669**
Helpline E-Mail ID	**upbed2026@bujhansi.ac.in** helpdesk@bujhansi.ac.in
State Co-ordinator	**Prof. Saurabh Shrivastava** **U.P. JEE B.Ed. – 2026 (Session 2026-28)** **CPMT Building, Bundelkhand University,** **Jhansi – (U.P.) 284128**
Registrar/Nodal State Officer	**Shri Gyanendra Kumar** **Registrar** **Bundelkhand University,** **Jhansi – (U.P.)284128**
Website	**www.bujhansi.ac.in**

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में
शैक्षणिक सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

प्रमाण पत्र का प्रारूप–1

(विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा स्त्री के लिये प्रमाण–पत्र)

(1) प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ..... एक विधवा महिला है। उनके पति श्री/स्वर्गीय ..... की मृत्यु अभिलेखों के अनुसार दिनांक ..... हो हुई है।

अथवा

(2) प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ..... एक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला है। तलाक/अलगाव से पहले उनके पति श्री .... थे।

दिनांक .....

तहसीलदार के हस्ताक्षर एवं मुहर
अधिकारी का नाम .....

(3) तलाकशुदा स्त्री के लिये न्यायालय से तलाक स्वीकृत होने सम्बन्धी न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि को संलग्न करना अनिवार्य है।

(4) परित्यक्ता महिला के लिये न्यायिक अलगाव तथा निर्वाह भत्ते के लिये न्यायालय में दी गयी अर्जी तथा न्यायालय द्वारा उस पर की गयी कार्यवाही की न्यायालय से प्राप्त प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।

(5) विधवा अभ्यर्थी के लिये पति के मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।



उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

प्रमाण पत्र का प्रारूप–2

(प्रतिरक्षा कर्मचारी एवं उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी के लिये प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0/श्रीमती..... के पिता/पति एक प्रतिरक्षा अधिकारी हैं जिनका रैंक ..... तथा नम्बर ..... है, जो कि सक्रिय सेवारत हैं/सक्रिय सेवारत थे और अपंग हो गये/ ससम्मान सक्रिय सेवा से अवकाश प्राप्त किया।

श्री/कु0/श्रीमती ..... इनके पुत्र/पुत्री/पत्नी है।

दिनांक .....

आफीसर कमाण्डेण्ट अथवा सेकेट्री सोल्जर्स बोर्ड के हस्ताक्षर एवं मुहर

अधिकारी का पूरा नाम .....

उ0 प्र0 बी0 एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सत्र 2026-28)
U.P. B.Ed. Joint Entrance Examination (Session 2026-28)
आयोजक:
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में
शैक्षणिक सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

प्रमाण पत्र का प्रारूप–3

(स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0*..... श्री** .....
.....
..... स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, निवासी .....
... के आश्रित हैं जिनसे इनका सम्बन्ध***.....
..... है।

दिनांक .....
स्थान .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम मुहर के साथ
अधिकारी का पूरा नाम .....

नोट : इस प्रमाण पत्र के साथ जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र एवं पेंशन बुक एवं माता/पिता का पहचान पत्र जिस पर स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का नाम अंकित हो, की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है। **उपरोक्त के अभाव में यह प्रमाण–पत्र अमान्य होगा।**

* यहां आश्रित का नाम लिखें
** यहां स्वतन्त्रता सेनानी का नाम लिखा जाय।
*** यहां स्वतन्त्रता सेनानी के आश्रित का सम्बन्ध लिखा जाय।
केवल जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य है।



उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में
शैक्षणिक सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

प्रमाण पत्र का प्रारूप–4

(पुलिस/पी.एस.सी./होमगार्ड/बी.एस.एफ./आई.टी.बी.पी./सी.आर.पी.एफ. विभाग का प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0/श्रीमती ..... के पिता/पति श्री ..... एक पुलिस/पी.ए.सी./होमगार्ड/बी. एस.एफ./आई.टी.बी.पी./सी.आर.पी.एफ. विभाग में सेवारत कर्मचारी हैं जिनका रैंक .... नम्बर ..... है/सेवारत हैं/थे और अपंग हो गए। उन्होंने सेवा से अवकाश प्राप्त किया।

दिनांक .....

पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेण्ट के हस्ताक्षर
पद की मुहर के साथ
अधिकारी का पूरा नाम .....



उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

प्रमाण पत्र का प्रारूप–5

(केवल उन अभ्यर्थियों के लिये जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0/श्रीमती ..... आत्मज/आत्मजा ..... ग्राम .... तहसील ..... नगर .....जिला .... राज्य .....के/की स्थायी निवासी हैं। अतः ये दूसरे प्रान्त के/की श्रेणी में आते/आतीं हैं।

दिनांक .....

पद जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
पदनाम की मुहर .....



उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

प्रमाण पत्र का प्रारूप–6

(यह प्रमाण पत्र उस जिले के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है जिस जिले के अभ्यर्थी के माता/पिता निवासी हैं)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी के माता/पिता का नाम)..... ..... माता/पिता, श्री/कु0 (अभ्यर्थी का नाम) .... उत्तर प्रदेश के गाँव/नगर ..... तहसील ..... . जिला .....के मूल निवासी हैं तथा श्री/कु0/श्रीमती (अभ्यर्थी का नाम) ..... के माता/पिता सामान्यतः निवास करते हैं।

दिनांक .....

हस्ताक्षर जिला मजिस्ट्रेट
पूरा नाम .....
पदनाम .....
मुहर
(जिला मजिस्ट्रेट की सील)

जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जो शा.आ.सं.–157/जीन–2003–77(II)/83 दिनांक 18 फरवरी, 2003 के अधीन जारी किए जायेंगे।



उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में
शैक्षणिक सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

प्रमाण पत्र का प्रारूप–7

(विकलांग/दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... आत्मज/आत्मजा .... ग्राम ..... तहसील . ..... नगर .....जिला ..... राज्य .... के निवासी हैं और निम्नांकित विकलांग/दिव्यांग श्रेणी में आते हैं परन्तु इस श्रेणी में आते हुये भी वे चर्म रोग, हकलाना, मूक बधिर या किसी अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं हैं, जिनसे छात्रों में संक्रमण या उनकी कक्षा शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो। उनकी विकलांगता/दिव्यांगता ..... अंग से सम्बन्धित हैं तथा विकलांगता का स्वरूप..... प्रतिशत है।

विकलांगता/दिव्यांगता की श्रेणी

1. हाथ या पैर से विकलांग/दिव्यांगता
2. आँख से विकलांग/दिव्यांग

दिनांक .....

मुख्य चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर
नाम
एवं मुहर

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

प्रमाण पत्र का प्रारूप–8

(सामान्य निवास प्रमाण–पत्र)

तहसीलदार ..... की आख्या दिनांक ..... के आधार पर एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी मकान नम्बर .... ग्राम ..... मौहल्ला ..... तहसील ... . जनपद ..... उत्तर प्रदेश का/की निवासी हैं व उनका वर्तमान पता मकान नम्बर ..... ग्राम..... मौहल्ला ..... तहसील .... जनपद ..... उत्तर प्रदेश है।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप–1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद का सामान्य निवासी होने का प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर उप जिलाधिकारी
पूरा नाम
पद नाम
मुहर
(उप जिलाधिकारी की सील)



उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

प्रमाण पत्र का प्रारूप–9

(आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के लिए प्रमाण–पत्र)

कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2019/4/1/2002/का–2/19वी.सी.–11, दिनांक 14 मार्च 2019 को संलग्नक (प्रपत्र–1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम .....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या ..... दिनांक .....

वित्तीय वर्ष ..... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पति/पुत्री .... ग्राम/कस्बा .....

तहसील ..... जिला ..... राज्य ..... पिनकोड .....के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष ..... में इनके परिवार कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं हैः–

1. 5(पांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
2. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
3. अधिसूचना नगर पालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
4. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिका का आवासीय भूखण्ड।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जाति..... के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साइज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर ..... (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम .....

पदनाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।



उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में

शैक्षणिक सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

प्रमाण पत्र का प्रारूप–9(1)

(आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के लिए स्वयं घोषणा–पत्र)

कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2019/4/1/2002/का–2/19वी.सी.–11, दिनांक 14 मार्च 2019 को संलग्नक

(प्रपत्र–11)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम .....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्र/पति ..... ग्राम/कस्बा ....पोस्ट आफिस ..... थाना ..... ब्लॉक ..... तहसील .... जिला ..... राज्य ..... में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ:–

1. मैं ..... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रू .... (शब्दों में) हैं।

3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) .....आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।

1. 5 (पांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
2. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
3. अधिसूचना नगर पालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
4. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिका का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपराक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण से जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षिणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों मं पास की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियतों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोटः जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम

स्थानः दिनांकः